IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल
निर्माण इकाई–इलाहाबाद
50/6, अलोपीबाग, प्रयागराज–211006
email I.D. - cuallahabad@gmail.com
Fax No. 0532-2501530

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

मानक: पथप्रदर्शक: Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक : .... / नि0इ0/2020 / L-6 दिनांक ....

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में इंगित श्रेणी में पंजीकृत समान कार्यों के अनुभवी ठेकेदारों से सिंगल बिड **पद्धति** पर राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट http://etender.up.nic.in के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार आनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई, 50/6, अलोपीबाग, प्रयागराज में खोली जायेगी। कार्य की मात्राए बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगी।

क्रम सं0	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद चित्रकूट में राजकीय हाईस्कूल ऐलहा का अवशेष कार्य।	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	27.85	0.56	1500.00 + 18% GST	02 माह	श्रेणी–डी
2	जनपद चित्रकूट में राजकीय हाईस्कूल बड़ी मड़ैयन का अवशेष कार्य।	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	17.35	0.35	1000.00 + 18% GST	01 माह	श्रेणी–डी

नियम व शर्तें–

ई–निविदा हेतु

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download start date	**21.03.2020 (5:00PM)**
Document Download End date	**27.03.2020 (3:00PM)**
Bid submission start date	**21.03.2020 (5:00PM)**
Bid submission End date	**27.03.2020 (3:00PM)**
Bid Opening date	**27.03.2020 (3:30PM)**

नियम व शर्तें–

ई–निविदा हेतु

1. निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अलग–अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने से एक दिन पूर्व तक इकाई कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत है–

Name of Holder	:	Project Manager, Construction Unit, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Allahabad.
Account No.	:	50268196915
IFSC Code	:	ALLA0210695
Bank Name/Branch	:	Allahabad Bank, Branch- Hindi Sahitya Sammelan, 12, K.P. Kakkad Road, Allahabad.

2. निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 का यू0टी0आर0 के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
3. निविदा प्रपत्र परिषद की वेवसाईट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबासाईट देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ही आनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
4. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।
5. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम निमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगी।

6. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वह स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें क्योंकि बाद में कार्य स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
7. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
8. निविदादाता/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10% जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई, इलाहाबाद के पक्ष में बना कर जमा करनी होगी।
9. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप में माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
10. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
11. निविदादाता/फर्म का जी0एस0टी के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं फर्म को नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।
12. ठेकेदार/फर्म के देयक से नियमानुसार, आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये जायेंगे की कटौती की जायेगी।
13. अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
15. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि एक वर्ष होगी। जमानत धनराशि तत्पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।
16. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
17. जी0पी0डब्लू0, फार्म–9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
18. अन्तिम बीजक का भुगतान कार्य को सम्बन्धित विभाग को हस्तगत किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।
19. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह में अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
21. शासनादेश संख्या–522/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी0सी0–2 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 की दरों से Below दर होने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
    a. 10%तक Below दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
    b. 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
22. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(एखलाक अहमद)
परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठ सं0 : 422 /उक्त/ 25 दिनांक : 20/3/2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सि सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक (पूर्वी), ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी।
3. परियोजना प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई–आजमगढ, गाजीपुर, वाराणसी/ निर्माण खण्ड–37, गोरखपुर।
4. इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को परिषद की वेबसाईट पर प्रचारित प्रसारित करने हेतु।
5. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/लेखाकार, निर्माण इकाई, इलाहाबाद।
6. नोटिस बोर्ड।

20/03/2020
परियोजना प्रबन्धक

NIT ALL